तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	कार्यालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) के पत्रांक राजस्व / 2023 / 490 दिनांक 21.07.2023 से अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बाबत रास्ता कायमी का उक्त प्रस्ताव / प्रार्थना पत्र आज पेश हुआ। प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतडी के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व ग्राम नोरंगपुरा स्थित राजकीय भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 के हाल खाता संख्या 1 के हाल खसरा नम्बर 313 रकबा 1.63 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बनी में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। परिपत्र का अवलोकन करने पर पाया कि स्थायी रास्ते राजकीय और व निजी भूमियों में से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख म नही है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे है, जो बारहमासी है तथा मौसम / ऋतुओं के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। यहा परिपत्र की मंशा केवल राजकीय भूमि मे से रास्ता कटान की न होकर दोनो प्रकार की भूमियों से है। अर्थात निजी खातेदारी भूमि तथा बीच मे यदि राजकीय भूमि हो तो दोनों प्रकार की भूमिया शामिल है। प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रस्तावित रास्ता अन्य किसी सार्वजनिक रास्ते को भी नहीं जोडता है। प्रस्ताव के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त खसरा मे काबिज / अतिक्रमियो के निजी प्रयोजन हेतु उक्त रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अर्थात अतिक्रमियों को राजकीय भूमि पर और अधिक अतिक्रमण किये जाने का बढावा दिये जाने जैसा है।	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व हानि होना होना भी संभावित है। राजकीय भूमि का किसी व्यक्ति विशेष को अदेय लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी खेतडी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी